उत्तर प्रदेश शासन

बेसिक शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 4909/5/2019/अरसठ-1-2019-33(59)/2019

लखनऊ : दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

कार्यालय आदेश

बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4209/अरसठ-1-2019-33(59)/2019 दिनांक 01.10.2019 द्वारा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) का पद सृजित करते हुए उक्त पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान के समकक्ष स्तर के अधिकारी को तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के अनुक्रम में शासकीय कार्य हित में कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यालय आदेश संख्या-4450/अरसठ-1-2019-33(59)/2019 दिनांक 14.10.2019 द्वारा श्री विजय किरन आनन्द, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0 को कार्यवाहक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) के पद पर तैनात किया गया है।

2- श्री राज्यपाल महोदया महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् निर्धारित करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है :-

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक, मध्यान्ह् भोजन प्राधिकरण एवं निदेशक साक्षरता की वार्षिक गोपनीय आख्याओं हेतु प्रस्तावक अधिकारी (**Reporting Officer**) होंगे।
2. शासकीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समस्त 05 निदेशालयों का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं समन्वय।
3. समस्त निदेशालयों के निदेशकों के मध्य समन्वय का प्रभावी पर्यवेक्षण।
4. समस्त निदेशालयों के समस्त प्रस्तावों/सूचनाओं एवं आख्याओं का परीक्षण कर शासन में प्रेषण।
5. समस्त निदेशालयों से बजट प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षाणोपरान्त समेकित प्रस्ताव शासन को ससमय उपलब्ध कराना।
6. समस्त निदेशालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों, बजट-आवंटन, व्यय एवं फण्ड-फ्लो का प्रभावी समन्वय/ पर्यवेक्षण।
7. समस्त निदेशालयों द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से क्रियान्वित किए गए फण्ड-फ्लो का प्रभावी पर्यवेक्षण।
8. समस्त निदेशालयों से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

9. **PFMS** एवं **ICT** आधारित प्रणालियों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण।
10. बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एकीकृत एवं सामान्य यूजर ओरियेन्टेड डेटाबेस निर्मित किए जाने के कार्य का प्रभावी समन्वय।
11. बेसिक शिक्षा विभाग में प्रक्रियाओं के डिजीटलीकरण एवं **ICT** की भूमिका में वृद्धि करना।
12. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, यूनीफार्म, स्कूल-बैग, स्वेटर एवं जूता-मोजा इत्यादि की खरीद-प्रक्रिया (**Procurement**) ससमय सुनिश्चित करवाना।
13. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों/वस्तुओं एवं सेवाओं की ससमय आपूर्ति, वितरण, ससमय भुगतान एवं आपूर्तित सामग्रियों/ वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समस्त निदेशालयों का प्रभावी पर्यवेक्षण।
14. बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर घटित रिक्तियों का निदेशकों के माध्यम से आंकलन कराकर इनके सापेक्ष की जाने वाली भर्तियों का समुचित प्रस्ताव शासन को ससमय संदर्भित कराना।
15. बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं को सम्बन्धित निदेशक के माध्यम से नियमानुसार सम्पादित कराना।
16. परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती एवं स्टाफ को युक्ति संगत करवाना।
17. आर0टी0ई0 अधिनियम/नियमावली के मानकों के अनुरूप निदेशक बेसिक शिक्षा के माध्यम से जनशक्ति की तैनाती एवं इस कार्य का पर्यवेक्षण।
18. सम्बन्धित निदेशक के माध्यम से प्रशिक्षण-कैलेण्डर तैयार करवाना तथा अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ के निमित्त बनाये गये विभिन्न ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का पर्यवेक्षण।
19. अध्यापकों तथा अध्यापकों के प्रशिक्षक एवं अन्य स्टाफ के मानव संसाधन का प्रबंधन निदेशक के माध्यम से करवाना तथा उसका पर्यवेक्षण करना।
20. सम्बन्धित निदेशक के माध्यम से आर0टी0ई0 अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करवाना व उनका पर्यवेक्षण।
21. परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं नामांकित छात्र-छात्राओं के विद्यालयों में अध्ययनरत बने रहने हेतु शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभावी पर्यवेक्षण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22. निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से आर0टी0ई0 अधिनियम की धारा-12 (i)c का क्रियान्वयन कराना व प्रभावी पर्यवेक्षण।
23. सम्बन्धित निदेशक के माध्यम से प्रति वर्ष परीक्षा समय-सारणी (**Calender of Examination**) की ससमय तैयारी एवं निर्गमन कराना।
24. गुणवत्ता-परक शिक्षा एवं इसकी आकंलन-प्रणालियों में वृद्धि की दिशा में निदेशकों द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभावी पर्यवेक्षण।
25. समाज के सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को समावेशी एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभावी पर्यवेक्षण।
26. परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अवस्थापना एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान करने, सृजित करने एवं सुदृढ़ीकरण करने की दिशा में निदेशकों द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभावी पर्यवेक्षण।
27. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के पुनर्गठन एवं पुनरोद्धार की दिशा में निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभावी पर्यवेक्षण।
28. समग्र शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण और निदेशक, साक्षरता के कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण।
29. अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों हेतु निर्धारित मानदण्डों का निदेशक के माध्यम से अनुपालन कराना व प्रभावी पर्यवेक्षण।
30. एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त बी0टी0सी0 कालेजों की सम्बद्धता, परीक्षा, शैक्षिक गुणवत्ता सवंर्धन एवं मान्यता आदि हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुपालन का पर्यवेक्षण।
31. बी0टी0सी0 परीक्षा/कालेजों में अभ्यर्थियों का प्रवेश की कार्यवाही परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करवाना।
32. उ0प्र0 अध्यापक पात्रता परीक्षा (**UPTET**) का परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से सुगमता पूर्वक सम्पादन करवाना।
34. विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित करना।
35. एन0जी0ओ0/सी0एस0आर0 से सम्बन्धित प्रकरणों का परीक्षणोपरांत शासन के माध्यम से निस्तारण कराना।
36. बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विधिक मामलों का प्रभावी पर्यवेक्षण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को शिक्षा निदेशक (बेसिक), निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक, मध्यान्ह् भोजन प्राधिकरण एवं निदेशक साक्षरता की वार्षिक गोपनीय आख्याओं हेतु प्रस्तावक अधिकारी (**Reporting Officer**) बनाये जाने के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश/नियम/ विनियम अवक्रमित समझे जायेंगे।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 4909(1)/5/2019/अरसठ-1-2019-33(59)/2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(6) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
(7) निदेशक, (बेसिक) / निदेशक (माध्यमिक/एस0सी0ई0आर0टी0/ एम0डी0एम0/साक्षरता) /राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ / सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज/परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज।
(8) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(9) अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(10) निजी सचिव, मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
(11) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
(12) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(13) बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/समस्त अनुभाग।
(14) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं गजट की 200 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
(15) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।